[2008] 6 एस सी आर 331

बिहार राज्य (अब झारखंड) और अन्य

बनाम

बोकारो एंड रामगुर लिमिटेड और अन्य

(सिविल अपील संख्या 1139/2002)

अप्रैल 09, 2008

[ डॉ. अरिजीत पसायत, पी. सथाशिवम और अफताब आलम, जे. जे.]

अपील- उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों को दरकिनार करते हुए भी अपील खारिज कर दी-स्वामित्व-अभिनिर्धारित-उचित नहीं- उच्च न्यायालय के निष्कर्ष और खोज एक साथ नहीं गए-अपील को अनुमति दी जानी चाहिए।

इस बात पर विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या निहित होते समय प्रश्नगत परिसर (राजा बंगला) का उपयोग राजा के आवास के लिए किया जा रहा था या रामगढ़ जागीर के किराये के संग्रह के लिए कार्यालय या कचहरी के रूप में।

उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के इस निष्कर्ष को दरकिनार कर दिया कि वाद परिसर किराया संग्रहण के लिए मुख्य रूप से एक कार्यालय या कचहरी नहीं था। इसके उपरांत भी निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई। इसलिए वर्तमान अपील की गई है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारण किया: उच्च न्यायालय ने माना कि निचली अदालत का यह निष्कर्ष कि वाद परिसर मुख्य रूप से किराया संग्रहण के लिए एक कार्यालय या कचहरी नहीं था, माना नहीं जा सकता है। तदनुसार, निचली अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया गया। अगर ऐसा है तो केवल एक ही निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता था कि अपील की अनुमति दी जाए। अजीब बात है कि उच्च न्यायालय ने बिना किसी कोस्ट के अपील को खारिज कर दिया। निष्कर्ष और खोज एक साथ नहीं जाते हैं। उच्च न्यायालय के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से इस प्रभाव से हैं कि वाद परिसर का उपयोग किराया संग्रह के लिए एक कार्यालय या कचहरी के रूप में किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में उच्च न्यायालय की अपील बिना योग्यता के होने के संबंध में निष्कर्ष को खारिज किया जाता है। नतीजतन, वादी का वाद खारिज हो जाता है। उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में दर्ज निष्कर्षों के संदर्भ में अपील की अनुमति दी जानी चाहिए। पैराग्राफ संख्या 04, 05 (333-बी,सी,डी,ई)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिता: सिविल अपील संख्या 1139/2002

पटना उच्च न्यायालय के निर्णय व आदेश दिनांक 12.10.2019 से।

अपीलार्थियों के लिए रतन कुमार चौधरी।

उत्तरदाताओं के लिए आर. सी. कोहली, (एन.पी.), अशोक माथुर (एन.पी.) न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था।

डॉ. अरिजीत पासायत, जे.,

1. बिहार राज्य (अब झारखंड) और इसके पदाधिकारी की ओर से विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

2. उत्तरदाताओं की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

3. इस अपील में पटना उच्च न्यायालय के खंड पीठ द्वारा प्रथम अपील संख्या 431/1968 के निर्णय को चुनौती दी गई है। अपील में शामिल मूल मुद्दा यह था कि क्या वाद परिसर का उपयोग किराया संग्रह के लिए एक कार्यालय या कचहरी के रूप में किया जाता था। हम पाते हैं कि पैराग्राफ 25 तक खंड पीठ द्वारा पक्षकारों की दलीलें तथा उनके द्वारा परीक्षित करवाए गए गवाहों की साक्ष्य को नोट किया गया है। पैराग्राफ 26 में बिहार राज्य (अब झारखंड) और इसके अधिकारियों द्वारा परीक्षित गवाहाेंं की विश्वसनीयता की जांच करने के पश्चात यह निर्धारित किया गया कि वो विश्वसनीय गवाह थे। उसके बाद फैसले में भ्रम शुरू हो जाता है। पैराग्राफ 27 से 29 में इसे इस प्रकार नोट किया गया हैः

> "27. उपरोक्त पक्षकार द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के उचित विश्लेषण पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि वादी यह साबित करने में विफल रहा कि निहित करने के समय राजा बंगले का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य के लिए किया जा रहा था तथा वह जमींदारी कचहरी के किसी भी कार्यालय से असंबद्ध था, जबकि दूसरी ओर, प्रतिवादी यह

साबित करने में सक्षम है कि उक्त बंगला अर्थात वाद परिसर का उपयोग कार्यालय सह-कचहरी के रूप में रामगढ़ जागीर का किराया एकत्रित करने के लिए किया जा रहा था।

28. इसलिए मैं विचारणीय अदालत के इस निष्कर्ष को दरकिनार करता हूं कि वाद परिसर मुख्य रूप से किराया एकत्रित करने के लिए कार्यालय या कचहरी नहीं था।

29. परिणामस्वरूप अपील विफल हो जाती है तथा बिना कोस्ट के खारिज की जाती है।"

4. पैराग्राफ 27 और 28 को एक साथ पढ़ने से स्थिति स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि वाद परिसर मुख्य रूप से किराया एकत्रित करने के लिए एक कार्यालय या कचहरी नहीं था, स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। तदनुसार, पैराग्राफ 28 में, विचारणीय न्यायालय के निष्कर्ष को दरकिनार कर दिया गया था। अगर ऐसा है तो एकमात्र निष्कर्ष, जिस पर पहुंचा जा सकता था वह था की अपील की अनुमति दें। आश्चर्यजनक रूप से, उच्च न्यायालय ने बिना किसी कोस्ट के अपील को खारिज कर दिया।

5. निष्कर्ष और खोज एक साथ नहीं जाते हैं। पैराग्राफ 27 और 28 में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से इस प्रभाव के लिए हैं कि वाद परिसर का उपयोग किराया संग्रह के लिए एक कार्यालय या कचहरी के रूप में किया गया था। इन परिस्थितियों में हम उच्च न्यायालय के इस

निष्कर्ष को दरकिनार करते हैं कि अपील में कोई योगयता नहीं थी। नतीजतन, वादी का वाद खारिज हो जाता है। विवादित फैसले के पैराग्राफ 27 और 28 में दिए गए निष्कर्षों के संदर्भ में अपील को अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके संबंध में हम निर्देश देते हैं।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रिछपाल सिंह गिला (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।